Office of Registrar Chit Funds, Haryana
Yojana Bhawan, Bays No. 21-28, Sector-4, Panchkula

Notice

The Government of Haryana vide notification dated 1st February, 2018 has notified "Haryana Chit Funds Rules, 2018" under "The Chit Funds Act, 1982." The Director, Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana has been appointed as Registrar of Chit Funds vide Govt. notification dated 19th February, 2018.

It is for the information of firms/other associations of individuals/companies/co-operative societies that it is mandatory to get registered/obtain necessary sanctions under "The Chit Funds Act, 1982" and "Haryana Chit Funds Rules, 2018" for doing/conducting Chit Fund Business in the Haryana State. The necessary documents may be submitted in the O/o Deputy Registrar of Chit Funds-cum-Planning Officer of the concerned district for the same. The copy of "The Chit Funds Act, 1982" and "Haryana Chit Funds Rules, 2018" along with relevant guidelines and address of O/o Deputy Registrar of Chit Funds located in each district are available on website www.esaharyana.gov.in

Registrar of Chit Funds-cum-
Director, Department of Economic and
Statistical Analysis, Haryana.

Panchkula
Dated: 01-10-2018

कार्यालय रजिस्ट्रार चिट फन्डज, हरियाणा
बेज न0 21–28, योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकुला

जन सूचना

क्या आप किसी चिट फन्ड कम्पनी में अपना धन लगाना चाहते हैं? यदि हां, तो कृपया धन लगाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को अवश्य जांच लें:–

1. क्या यह चिट फन्ड कम्पनी रजिस्ट्रार, चिट फन्डज, हरियाणा द्वारा ''चिट फन्डज एक्ट, 1982'' एवम् ''हरियाणा चिट फन्डज नियम, 2018'' के तहत पंजिकृत है तथा इसके निदेशक आर्थिक रुप से सुदृढ हैं ?
2. क्या चिट फन्ड कम्पनी द्वारा अपने नाम में चिट फन्ड, चिटि तथा कुरी आदि शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया गया है ?
3. क्या आप जिस ग्रुप अथवा चिट के सदस्य बनना चाहते हैं उसको ''चिट फन्डज एक्ट, 1982'' एवम् ''हरियाणा चिट फन्डज नियम, 2018'' के तहत रजिस्ट्रार, चिट फन्डज से प्रारम्भिक अनुमति, चिट अनुबन्ध तथा चिट प्रारम्भ करने हेतू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं ?
4. क्या आपने चिट ग्रुप के उपनियमों की शर्तो एंव नियमों को जान लिया है तथा आप तय–समय पर किस्ते देने में वित्तीय दृष्टि से सक्षम हैं ?
5. क्या चिट फण्ड कम्पनी द्वारा सभी लेनदेन कैशलैश मोड से किए जा रहे हैं?
6. क्या चिट फन्ड कम्पनी द्वारा ''चिट फन्डज एक्ट, 1982'' एवम् ''हरियाणा चिट फन्डज नियम, 2018'' के अनुसार रिकार्ड मैन्टेन किया जा रहा है ?
7. क्या आपके और चिट फन्ड कम्पनी के बीच कोई लिखित में चिट अनुबन्ध हुआ है ?
8. क्या चिट फन्ड कम्पनी ने आपको चिट अनुबन्ध की सत्यापित प्रतिलिपि प्रथम निलामी से पूर्व दी है ?
9. क्या चिट फन्ड कम्पनी आपको निलामी का स्थान, तिथि व समय के बारे मे पहले से सूचित करती है व आपको निलामी में भाग लेने देती है ?
10. क्या वांछित जमानत देने के बाद चिट फन्ड कम्पनी ने इनामी धनराशी में आपको हिस्सा दे दिया है ?
11. क्या चिट फन्ड कम्पनी आपको चिट ग्रुप के अभिलेख का निरिक्षण करने की अनुमति देती है ?
12. क्या चिट फन्ड कम्पनी प्रत्येक ग्रुप में केवल एक चिट ही बिना निलामी के लेती है ?

यदि उपरोक्त प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर नहीं हो तथा चिट फन्ड का संचालन ''चिट फन्डज एक्ट, 1982'' एवम् ''हरियाणा चिट फन्ड नियम, 2018'' के प्रावधानों के अनुसार न हो तो कम्पनी की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में हो सकती है।

आप रजिस्ट्रार, चिट फन्डज, हरियाणा के कार्यालय से आश्वस्त हो लें की सम्बन्धित चिट फन्ड कम्पनी के विरूध कोई शिकायत तो विचाराधीन नही है।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेब साईट **<u>www.esaharyana.gov.in</u>** देख सकते हैं तथा रजिस्ट्रार, चिट फन्डज, हरियाणा के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

○ परिश्रम से अर्जित अपने धन को गैर कानूनी चिट फन्ड कम्पनियों के हाथों में न गवाऐं ○

पंचकूला
दिनांकः 01.10.2018

रजिस्ट्रार चिट फन्डज –कम–
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।